रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 812] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2015/पौष 1, 1937
No. 812] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2015/PAUSA 1, 1937

IndiaCode

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 999(अ).--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान, , बल्लभगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में कार्यालय अधीक्षक के समूह 'ख' पद पर भर्ती की पद्धति और विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान, साधारण केंद्रीय सेवा (समूह 'ख' पद) कार्यालय अधीक्षक, भर्ती नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**--पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**--भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**--वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**--जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैं, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा **संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके,** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**--इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों **अन्य पिछड़े वर्गों,** भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।**	**चयन पद है अथवा अचयन पद ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कार्यालय अधीक्षक	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800/- रू. + ग्रेड वेतन 4600 रू.	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी ।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : वेतन बैंड-2 (9300-34800/- रू.) और 4200 रू. के ग्रेड वेतन में ऐसा सहायक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान स्थापना प्रशासन और लेखा में 2-4 सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कानिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठ केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध-सरकारी या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 2, 9300-34800/-रू.) + 4200/- ग्रेड वेतन में वेतन में पदों पर नियमित आधार पर

Indiacode

नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो ।

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों, अर्थात् :-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री : और

(ii) स्थापना, प्रशासन और लेखा में 3 वर्ष का अनुभव

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा, **सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है** उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति / प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. निदेशक, राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान -अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव, पशु कल्याण प्रभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय -सदस्य 3. अवर सचिव, पशु कल्याण प्रभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है

[फा. सं. 20/8/2014-एडब्ल्यूडी]

अनिल बहुगुणा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2015

G.S.R. 999(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'B' Post of Office Superintendent in the National Institute of Animal Welfare, Ballabhgarh, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the National Institute of Animal Welfare, Office Superintendent, General Central Services (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—**The number of posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Office Superintendent	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band –2, (Rs.9300-34800/-) Grade Pay Rs.4600/-	Selection post

Age limit for Direct Recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation including short term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, the grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant in Pay Band- 2, (Rs.9300-34800/-) and Grade Pay of Rs. 4200 with five years' regular	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :-	Consultation with Union Public Service

service in the grade who shall have to successfully complete mandatory training of 2-4 weeks in Establishment, Administration and Accounts from Institute of Secretariat Training and Management (ISTM). **Note 1:** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation (including Short Term Contract) : Officers under Central Government or State Government or Union Territory Administrations or public sector undertakings or Universities or recognized research institutions or Semi Government or autonomous bodies or statutory organizations:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-2, (Rs.9300-34,800/-) with Grade Pay of Rs.4200/- or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely :- (i) Bachelor Degree from a recognized University or Institute ; and (ii) three year's experience in Establishment, Administration and Accounts. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of Deputation (including Short Term Contract) including period of deputation (including Short Term Contract) in another *ex-*	1. Director, National Institute of Animal Welfare -Chairman 2. Director or Deputy Secretary, Animal Welfare Division, Ministry of Environment, Forest and Climate Change -Member 3. Under Secretary, Animal Welfare Division Ministry of Environment, Forest and Climate Change -Member.	Commission not necessary

IndiaCode

cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation (including Short Term Contract) shall be not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F. No. 20/8/2014-AWD]

ANIL BAHUGUNA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.